

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)  
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 82 / 2024

निर्णय दिनांक : 22.12.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 233

दायर दिनांक - 26.07.2024

मुनिया दीन काजी पुत्र हाजी मंगतूदीन जाति काजी निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़  
जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :-


1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री सलीम खान एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी परोकार राज उपस्थित।


—:निर्णय:-


संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी करखा सुजानगढ़ का स्थाई निवासी है जिनके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण में खेत खाता संख्या 358 के खसरा संख्या 182 तादादी 1.7703 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मुनियादअली पुत्र मंगतू दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस व राशन कार्ड आदि में मुनियादीन पुत्र हाजी मंगतूदीन दर्ज है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

  
सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
सदस्य  
लोक अदालत

  
लोक अदालत  
सुजानगढ़


प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम मुनियादीन पुत्र हाजी मंगतूदीन दर्ज है। मुनियादअली व मुनियादीन दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मुनियादीन काजी पुत्र हाजी मंगतूदीन काजी किया जाना उचित है।


पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस व राशन कार्ड की प्रति आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम मुनियादीन काजी पुत्र हाजी मंगतूदीन अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


### आदेश

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 358 के खसरा संख्या 182 तादादी 1.7703 हैक्टेयर हैक्टेयर वाके रोही सुजानगढ़ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार मुनियादअली पुत्र मंगतू जाति काजी निवासी सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर मुनियादीन काजी पुत्र हाजी मंगतूदीन काजी जाति काजी निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
न्यायिक अधिकारी  
लोक अदालत  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
पैनल अधिकारिता (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
रेव्यू अधिकारी (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़